

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 804/2026

Arjun Singh S/o Pukh Singh, Aged About 50 Years, R/o Padarli,
Police Station Ahore, District Jalore Rajasthan.
(At Present Lodged In District Jail Jalore)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Special P.p, Jalore.
2. Lacharam S/o Rana Ram, R/o Padarli, Police Station Ahore, Dist Jalore.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Hukum Singh Chouhan
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP
		None present for res. no.2 despite Service

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

26/05/2026

01 प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 14ए(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पुलिस थाना **आहोर जिला जालोर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **52/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2)** भारतीय न्याय संहिता एवं धारा **3(1)(r)(s), 3(2)(va)** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

02. बहस अपील सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी का तर्क रहा कि इस मामले में एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के अलावा अन्य धाराएँ जमानतीय प्रकृति की है। प्रार्थी/अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित 15 प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में दोषमुक्त करार दिया गया है, दो प्रकरण जरिये राजीनामा निस्तारित किया जा चुके हैं तथा शेष प्रकरण लंबित है। चालान पेश किया जा चुका है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः अपील स्वीकार कर प्रार्थी/अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय में प्रार्थी/अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

06. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जालोर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.04.2026 अपास्त किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी अर्जुनसिंह पुत्र पुखसिंह उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J